संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

महत्वपूर्ण

क्रमांक / आई.डी.एस.पी / 2021 / 558 भोपाल, दिनांक 20 / 04 / 2021

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
2. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।
4. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र।

विषयः– कोविड–19 संक्रमित होम आईसोलेटेड रोगियों हेतु मेडिसिन किट की उपलब्धता नगर निगम / नगर पालिका / नगर परिषद के अधिकारियों को उपलब्ध कराने बावत्।

संदर्भः– 1. संचालनालयीन पत्र क्र. / आई.डी.एस.पी. / 2021 / 479, भोपाल दिनांक 07 / 04 / 2021
2. म.प्र शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग का पत्र क्र. 60 / 1491 / SWM / UD&HD / 2021 दिनांक 18 / 04 / 2021

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र क्र. 1 द्वारा लक्षण रहित एवं मंद लक्षण वाले पात्र कोविड पॉजीटिव व्यक्तियों को होम आईसोलेशन में रखने एवं होम आईसोलेशन किट के वितरण हेतु विवरण उपलब्ध कराया गया है। **तदानुसार विशेषकर शहरी बाहुल्यता वाले जिलों में कोविड–19 के वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय क्षेत्र में होम आईसालेशन में स्थित कोविड मरीजों को उनके घर पर ही कोविड–19 के स्व–प्रबंधन के लिए आवश्यक औषधि किट एवं होम आईसालेशन संबंधी इन्सट्रक्शन ब्रॉशर की प्रति नगर पालिका / नगर परिषद के अधिकारियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है।**

निर्देशित किया जाता है कि:–

- जिले के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर परिषद को होम आईसोलेशन किट हेतु आवश्यक औषधियाँ होम आईसोलेटेड रोगियों की दैनिक संख्या अनुरूप निम्नानुसार उपलब्ध कराई जावे:–

1. Tab Azithromycin 500 1OD x 5.	**5 Tabs**
2. Tab Multivitamin I BD x 10 days.	**2 Strips of 1x10 Tabs**
3. Tab Cetrizine 10 mg x 10 (For SOS use).	**1 Strip of 1x10 Tabs**
4. Tab Paracetamol 500 mg 1 BD x 10 (For SOS use).	**2 Strips of 1x10 Tabs**
5. Tab Ranitidine 150 mg 1 BD x 10.	**2 Strips of 1x10 Tabs**
6. Tab Zinc 20 mg 1 OD x 10.	**1 Strip of 1x10 Tabs**
7. Tab Vit. C 1000 mg x 10.	**1 Strip of 1x10 Tabs**

- **इस हेतु होम आईसोलेशन में निवासरत कोविड पॉजीटिव रोगियों की सूची जिला एपीडिमियोलॉजिस्ट अथवा कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन अनिवार्यतः प्रातः 7 बजे नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाये।**
- **जिला स्तरीय कोविड कंट्रोल एण्ड कमांड सेन्टर पर भी पर्याप्त संख्या में मेडिसिन किट की उपलब्धता रखी जाये एवं रोगियों के संख्या अनुपातिक वितरण अनुसार निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।**
- "फीवर क्लीनिक्स" के माध्यम से चिन्हांकित कोविड पॉजीटिव रोगी, जिन्हें चिकित्सक द्वारा पूर्ण चिकित्सकीय आंकलन एवं घर की स्थिति के आधार पर होम आईसोलेशन हेतु अनुमति दी गई हो, को "फीवर क्लीनिक्स" के माध्यम से होम आईसोलेशन किट का वितरण पूर्ववत जारी रखा जाये।

- जिन जिलों में होम आईसोलेशन किट (औषधि एवं इन्सट्रक्शन ब्रॉशर) का वितरण कार्य पूर्व से ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुचारू रूप से संचालित है, वहां पुनः नवीन व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

अवगत हों कि होम आईसोलेशन में निवासरत रोगियों के स्व–प्रबंधन हेतु होम आईसोलेशन किट (औषधि एवं इन्सट्रक्शन ब्रॉशर) के वितरण संबंधी कार्यवाही की दैनिक समीक्षा स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की जायेगी। अतः, उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो।

(आकाश त्रिपाठी)
स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मध्यप्रदेश

क्रमांक / आई.डी.एस.पी / 2021 / 559 भोपाल, दिनांक 20 / 04 / 2021

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग व चिकित्सा शिक्षा विभाग,वल्लभ भवन, म.प्र।
2. प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
4. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र।
7. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
8. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल स्मार्ट सिटी, भोपाल, म.प्र।
11. प्रभारी, कोविड–19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

महत्वपूर्ण

क्रमांक / आई.डी.एस.पी / 2021 / 479 भोपाल, दिनांक 07 / 04 / 2021

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
2. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।
4. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र।

विषयः— लक्षण रहित (Asymptomatic) तथा अति मंद (Very Mild) लक्षण वाले कोविड–19 पॉजीटिव केस हेतु होम आईसोलेशन किट के संबंध में।

संदर्भः— 1. संचालनालयीन पत्र क्र. / आई.डी.एस.पी. / 1597 भोपाल दिनांक 14 / 09 / 2020
2. संचालनालयीन पत्र क्र. / आई.डी.एस.पी. / 428 भोपाल दिनांक 30 / 03 / 2021

विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश में कोविड–19 के प्रकरणों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि घर पर आईसोलेशन की समुचित व्यवस्था वाले अधिक से अधिक पात्र कोविड पॉजीटिव व्यक्तियों को होम आईसोलेशन में रखा जाये। इस हेतु महत्वपूर्ण है कि होम आईसोलेशन व्यक्ति की दैनिक निगरानी जिला स्तर पर स्थापित District COVID Command and Control Center द्वारा सुनिश्चित की जाये एवं व्यक्ति के पास आवश्यक चिकित्सीय संसाधन एवं औषधियाँ उपलब्ध रहे।

निर्देशित किया जाता है किः—

- कोविड–19 पॉजीटिव केस को होम आईसोलेशन की अनुमति देते समय एक "होम आईसोलेशन" किट उपलब्ध कराई जाये जिसमें निम्न सामग्री एवं औषधियाँ होंः—

1. Instruction Brochure.
2. List and address of Fever clinic.
3. List and Contact detail of DCHC.
4. List and Contact detail of DCH.
5. List and contact detail of COVID-19 hospitals providing treatment on payment.

6. Tab Azithromycin 500 1OD x 5.	**5 Tabs**
7. Tab Multivitamin I BD x 10 days.	**2 Strips of 1x10 Tabs**
8. Tab Cetrizine 10 mg x 10 (For SOS use).	**1 Strip of 1x10 Tabs**
9. Tab Paracetamol 500 mg 1 BD x 10 (For SOS use).	**2 Strips of 1x10 Tabs**
10. Tab Ranitidine 150 mg 1 BD x 10.	**2 Strips of 1x10 Tabs**
11. Tab Zinc 20 mg 1 OD x 10.	**1 Strip of 1x10 Tabs**
12. Tab Vit. C 1000 mg x 10.	**1 Strip of 1x10 Tabs**

- उपरोक्त किट की व्यवस्था मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिले के कुल एक्टिव कोविड–19 केसों की संख्या के 60% के मान से तैयार की जाये।
- होम आईसोलेशन की अनुमति देते समय "फीवर क्लीनिक" के चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोविड पॉजीविट व्यक्ति को यह किट उपलब्ध कराई जाये।
- इसके अतिरिक्त कोविड पॉजीटिव व्यक्ति के पास स्व–निगरानी हेतु 1 Digital Thermometer एवं Pulsoximeter उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

संलग्नः— 1. होम आईसोलेशन संबंधी रोगी को प्रदाय किये जाने वाले सामन्य निर्देश (Instruction Brochure)

2. जिला कोविड कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर के चिकित्सकों के द्वारा वीडियो कॉल निगरानी के दौरान पूछे जाने वाली सांकेतिक प्रश्नावली

(डॉ. संजय गोयल)
आयुक्त स्वास्थ्य सह सचिव
मध्यप्रदेश

क्रमांक / आई.डी.एस.पी / 2021 / 480 भोपाल, दिनांक 07 / 04 / 2021

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग व चिकित्सा शिक्षा विभाग,वल्लभ भवन, म.प्र।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
6. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
7. समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, म.प्र।
8. प्रभारी, कोविड–19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

आयुक्त स्वास्थ्य सह सचिव
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/60/1491 /SWM//UD&HD/2021/ भोपाल दिनांक 18/04/2021

प्रति,

1. समस्त आयुक्त
   नगर पालिक निगम
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी
   नगर पालिका परिषद/नगर परिषद
   मध्यप्रदेश।

विषय : कोविड-19 संक्रमण में होम आइसोलेशन के मरीजों को मेडिसिन किट व स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की प्रति की होम डिलेवरी ।

-0-

1. वर्तमान में कोविड-19 के अत्यधिक संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में शासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नगरीय क्षेत्र में होम आइसोलेशन में स्थित कोविड मरीजों को उनको घर पर ही कोविड-19 के स्वप्रबंधन के लिए आवश्यक मेडिसिन किट एवं होम आइसोलेशन से संबंधित स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराई जाए। इस संदर्भ में निम्नानुसार निर्देश दिए जाते है :-

(i) प्रत्येक निकाय द्वारा अपने क्षेत्र में मेडिसिन किट एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों को होम आइसोलेशन में स्थित कोविड मरीजों के घर पर उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जोन/वार्ड के अनुसार प्रभारी अधिकारी एवं आवश्यकता होने पर टीम की नियुक्ति की जाए। यथासंभव प्रत्येक जिले में होमः आइसोलेशन में स्थित मरीजों के मानिटरिंग के लिए कन्ट्रोल रूम या कन्ट्रोल कमांड सेन्टर संचालित हैं। इस व्यवस्था के संचालन के लिए यथा संभव इसे ही केन्द्र बिन्दु बनाया जाए। छोटे निकायों में वार्ड / जोन के अनुसार प्रभारी अधिकारी या टीम की आवश्यकता न हो तो स्थानीय परिस्थिति अनुसार कार्यवाही की जाए।

(ii) सामान्यतः मेडिसिन किट एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की प्रतियां कलेक्टर द्वारा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, किन्तु कई जिलों में ऐसी स्थिति हो सकती है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा किट के स्थान पर मेडिसिन उपलब्ध कराई जाए जिसको किट में परिवर्तित करना होगा। नगरीय निकाय इस हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें। ऐसी किट का निर्माण कलेक्टर के माध्यम से नियुक्त स्वास्थ्य विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में किया जाए। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की प्रति अगर स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुद्रित कर उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो निकाय आवश्यकतानुसार मुद्रण सुनिश्चित किया जाए। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न हैं।

(iii) तत्काल यह सुनिश्चित किया जाए कि वर्तमान में होम आइसोलेशन में स्थित ऐसे कोविड मरीज जिनको अभी तक मेडिसिन किट एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की प्रति उपलब्ध नहीं हुई है उन्हें तत्काल प्रभाव से यह उपलब्ध कराई जाए। इसके पश्चात् प्रतिदिन होम आइसोलेशन में रहने वाले नए कोविड मरीजों को मेडिकल किट एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की प्रति उपलब्ध हो यह सुनिश्चित किया जाए। प्रतिदिन होम आइसोलेशन मरीजों की सूची जिले के महामारीविद् (Epidemiologist) या कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी से सुबह 7:00 बजे प्राप्त की जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रतिदिन होम आइसोलेशन में नए मरीजों को उसी दिन उपरोक्तानुसार सामग्री उपलब्ध हो।

(iv) प्रत्येक निकाय में इस सम्पूर्ण व्यवस्था के प्रभारी एवं वार्ड एवं जोन वाईज टीम के प्रभारीयों के फोन नम्बर का प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि अगर होम आइसोलेशन में स्थित किसी मरीज को मेडिकल किट एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की प्रति प्राप्त नहीं होती है तो वे तुरंत सम्पर्क कर सके। जिला मुख्यालय में होम आइसोलेशन में स्थित मरीजों के मानिटरिंग हेतु निर्धारित कन्ट्रोल रूम / कन्ट्रोल एवं कमांड सेंटर का दूरभाष क्रमांक का पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, जिस पर भी कोविड मरीज मेडिकल किट प्राप्ति हेतु सूचना दे सकते है। शेष निकाय में भी स्थापित किए जाने वाले कन्ट्रोल रूम में दूरभाष नम्बर का प्रचार प्रसार करें।

(v) कन्ट्रोल रूम / कन्ट्रोल कमांड सेन्टर में पर्याप्त संख्या में मेडिसिन एवं मेडिसिन किट की उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाए। उपलबधता में कमी होने पर तुरंत कलेक्टर के संज्ञान में इस बात को लाया जाए।

(vi) कई जिलों में मेडिकल किट एवं स्वास्थ्य विभाग के किटों का वितरण फीवर क्लीनिक के माध्यम से भी किया जा रहा है। ऐसे होम आईसोलेशन में स्थित कोविड मरीजों को फिर से सामग्री प्रदान की आवश्यकता नहीं है। हालांकि प्रतिदिन की वितरित सामग्री की जानकारी में फीवर क्लीनिक में बटी सामग्री को भी शामिल किया जाए।

2. राज्य स्तर पर मेडिकल किट एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की प्रति होम आइसोलेशन में स्थित मरीजों को घर पर वितरण करने की कार्यवाही का माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा स्वयं प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। इस हेतु आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास के मार्गदर्शन में श्री आदित्य सिंह, सी.ई.ओ., भोपाल स्मार्ट सिटी 9589486865 के नेतृत्व में एक राज्य स्तरीय मानिटरिंग सेल स्थापित किया गया है। प्रत्येक संयुक्त संचालक अपने क्षेत्र की समस्त निकाय की जानकारी निर्धारित प्रारूप में एकत्रित कर प्रातः 11.00 बजे तक श्री आदित्य सिंह, नोडल अधिकारी को उपलब्ध करवाएगें। श्री आदित्य सिंह नोडल अधिकारी आवश्यक समन्वय कर पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रारूप में दोपहर 12.00 बजे तक उपलब्ध करायेगे। किसी जिले में इस कार्यवाही में आ रही कोई विशेष समस्या को पृथक से फ्लेग किया जाए।

3. कई जिलों में मेडिकल किट एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की प्रतियों के वितरण का कार्य पूर्व से ही किया जा रहा है एवं इस हेतु व्यवस्था स्थापित है। अगर वो व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित है तो पुनः नवीन व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता नहीं हैं। कलेक्टर के मार्गदर्शन में पूर्व से स्थापित व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाए।

4. स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर द्वारा जिलों में होम आइसोलेशन मरीजों के घर के बाहर फ्लेक्स / पोस्टर लगाकर माईक्रो कंटेनमेंट घोषित करने की आवश्यता हो तो इस हेतु आवश्यक फ्लेक्स / पोस्टर लगाने की कार्यवाही भी इसी टीम द्वारा सुनिश्चित की जाए। स्थानीय परिस्थितयों के अनुसार कलेक्टर के मार्गदशन में उपरोक्त व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता हैं।

5. किट वितरण का सत्यापन राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम से सीधे होम आइसोलेशन में स्थित कोविड मरीजों को फोन पर किया जाएगा, जिसे स्वास्थ्य विभाग के "सार्थक" एप में दर्ज किया जाएगा। इसी एप से राज्य स्तर पर जिला/निकायों की परफार्मेन्स के आधार पर समीक्षा एवं रैंकिंग की जाएगी। अतः किसी तरह से गलत जानकारी प्रदाय न की जाए एवं 100 प्रतिशत किट वितरण सुनिश्चित किया जाए।

यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगे।

संलग्नः- 1. निर्देशों की प्रति

2. प्रारूप 1/2

18/4

(नीतेश व्यास)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक/61/1491 /SWM//UD&H/2021 भोपाल दिनांक 18/04/2021

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1- अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्वास्थ्य तिभाग, मंत्रालय, भोपाल।

2- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाए, सतपुड़ा भवन, भोपाल।

3- समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।

4- आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश, भोपाल।

5- मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश भोपाल।

6- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।

7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल स्मार्ट सिटी, भोपाल।

8- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश ।

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग